संरक्षित खेती

वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान की उन्नति से ही हमारे पूरे प्रदेश की प्रगति संभव है। हमने किसान भाइयों के लिए राज्य में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी उनका फायदा उठायें व परम्परागत खेती के साथ ही खेती के नये तरीकों व तकनीकों को अपनाएं।

हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति अब तक हो चुकी हैं, अब हमारा सपना राज्य में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) लाने का है। इसके लिए हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

प्रभुलाल सैनी
कृषि मंत्री, राजस्थान

राज्य के विकास में हमारा मेहनतकश किसान एक अहम कड़ी है। राजस्थान सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, उच्च तकनीक, संरक्षित खेती, अधिक मूल्य वाली फसलें उगाना आदि नवाचारों को अपनाएं ताकि उनकी आय बढ़े। इस प्रकाशन में हम आपको खेती के इन्हीं तरीकों व तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप सभी अपनाएं और आगे बढ़ें।

संरक्षित कृषि—ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस

ग्रीन हाउस उच्च उत्पादकता के साथ कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन उपलब्ध कराने की तकनीक है। इस फसल उत्पादन पद्धति की स्थापना एवं संचालन पर पारम्परिक खेती की तुलना में अधिक व्यय होता है, परन्तु बेहतर प्रबन्धन एवं विपणन व्यवस्थाओं से पारम्परिक खेती की तुलना में इससे कई गुणा अधिक लाभ सम्भव है। खेती की इस आधुनिक तकनीक से राज्य के कृषक राज्य की जलवायु में आंशिक वातावरण नियंत्रण के साथ विभिन्न बागवानी फसलों की खेती करके सामान्य फसलोत्पादन तकनीक की तुलना में कई गुणा अधिक फसल उत्पादन कर रहे हैं।

परम्परागत खेती में बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा नयी पीढ़ी की आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रीनहाउस व शेडनेट हाउस तकनीक को परम्परागत खेती के विकल्प के लिये स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस कृषि पद्धति में शिमला मिर्च, टमाटर,

सीडलेस खीरा, चैरी टमाटर, मिर्च, खरबूज, जरबेरा, डचरोज आदि सब्जियों व फूलों की खेती को बड़े स्तर पर किये जाने की अच्छी सम्भावनायें हैं ।

राज्य सरकार से प्रोत्साहन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन व अन्य बागवानी विकास योजनाओं के तहत ग्रीनहाउस व शेडनेट हाउस स्थापना हेतु निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी अनुदान देय है। इस तकनीक की स्थापना लागत में आने वाली अधिक लागत देखते हुए लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को राज्य योजना मद से 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है।

1000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर व 4000 वर्ग मीटर आकार के ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस निर्माण पर देय अनुदान निम्नानुसार है:

ग्रीन हाउस				शेडनेट हाउस			
आकार (वर्ग मीटर)	लागत (लाख रुपये)	देय अनुदान (लाख रुपये)		आकार (वर्ग मीटर)	लागत (लाख रुपये)	देय अनुदान (लाख रुपये)	
		लघु, सीमान्त, अ.जा. व अ.जन.जा. कृषक (70%)	सामान्य कृषक (50%)			लघु, सीमान्त, अ.जा. व अ.जन.जा. कृषक (70%)	सामान्य कृषक (50%)
1000	8.92	6.24	4.46	1000	5.09	3.56	2.54
2000	17.80	12.46	8.90	2000	10.04	7.03	5.02
3000	25.32	17.72	12.66	3000	14.91	10.43	7.45
4000	33.76	23.63	16.88	4000	19.64	13.75	9.82

पॉलीहाउस में खेती की अधिक लागत को देखते हुए अधिक मूल्य वाली सब्जियों की पौध रोपण सामग्री व काश्त की अनुमानित लागत रु.140 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। इसी तरह पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस में कारनेशन एवं जरबेरा फूलों की पौध रोपण सामग्री एवं काश्त की अनुमानित लागत रु.610 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। ऐसे कृषक जो पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस में गुलाब की खेती करना चाहते हैं उन्हें गुलाब की पौध रोपण सामग्री एवं काश्त की अनुमानित लागत रु.426 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। इन गतिविधियों हेतु प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्गमीटर तक अनुदान देय है।

ग्राम
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

उन्नत किसान
ख़ुशहाल राजस्थान

उद्यान निदेशालय, राजस्थान
पंत कृषि भवन, जनपथ, सी–स्कीम, जयपुर 302 005
T: +91 141 2227806 | W: agriculture.rajasthan.gov.in
E: hortiraj_rj@gov.in

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर **1800 180 1551**
पर बात करें या अपने पास के कृषि पर्यवेक्षक या अपने ज़िले के
उप निदेशक कृषि या सहायक निदेशक उद्यान विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करें

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर